# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली-**110001**

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/**47/2017** दिनांक: **3** जून, **2017**

## प्रेस नोट

**विषय- ईवीएम चुनौती का समापन।**

प्रारंभ में भारत निर्वाचन आयोग सभी हितधारकों का, ईवीएम के प्रति अपने भरोसे एवं विश्वास की पुन: पुष्टि करने के लिए, चाहे वह ईवीएम चुनौती की पूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर किया गया हो या अन्यथा, धन्यवाद करता है। भारत निर्वाचन आयोग ने, एक असाधारण उपाय में, सभी राष्ट्रीय एवं राज्यीय मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों को आमंत्रित किया था कि वे आएं और इसके द्वारा दिनांक **20** मई, **2017** को घोषित ईवीएम चुनौती में चुनौती की रूपरेखा के अनुसार भाग लें। केवल दो राजनैतिक दलों नामत: एनसीपी एवं सीपीआई**(**एम**)** ने दिनांक **26** मई, **2017** को अपराह्न **5:00** बजे तक ईवीएम चुनौती में भाग लेने के प्रति अपनी अभिरूचि प्रस्तुत की। चूंकि दोनों में से किसी भी राजनैतिक दल ने जिन पांच राज्यों में निर्वाचन सम्पन्न हुए हैं उनसे इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीने चुने जाने के लिए अपनी पंसद निर्दिष्ट नहीं की। इसलिए आयोग दिनांक **03** जून, **2017** के लिए निर्धारित ईवीएम चुनौती के लिए पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश की **12** विधान सभाओं से स्टाँग रूमों में मुहरबंद स्थिति में रखी गई **14** इलेक्ट्रॉनिक वोर्टिंग मशीनों को यादृच्छिक तरीके से लाया।

पहले ही, आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ **12** मई, **2017** को बैठक की थी जिसमें **42** दलों ने भाग लिया था। हांलाकि, अधिकांश ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों **(**ईवीएम**)** की अविकलता पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया परन्तु कुछ लोगों ने ईसीआई-ईवीएम की कार्य प्रणाली पर संदेह उठाना जारी रखा।

आयोग ने दिनांक **20** मई, **2017** को एक प्रेस कान्फ्रेन्स आयोजित की तथा बहुत विस्तार से यह बताया कि क्यों इसे तकनीकी और प्रशासनिक रक्षोपायों के भीतर काम करने वाली ईसीआई-ईवीएम के साथ हेर-फेर न कर सकने की बात पर पूर्व विश्वास है। फिर आयोग ने ईवीएम चुनौती की घोषणा की और एक सम्पूर्ण रूपरेखा निर्दिष्ट की और सभी राजनैतिक दलों को निमंत्रण-पत्र के साथ दिनांक **20** मई, **2017** को भेजा।

आज दोनों दलों **(**एनसीपी एवं सीपीआई-एम**)** ने **7**वें तल पर स्थित चुनौती स्थल पर रिपोर्ट किया। हालांकि, सीपीआई**(**एम**)** ने बताया कि वे चुनौती में नहीं भाग लेना चाहते हैं, वे केवल ईवीएम प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। हमारे तकनीकी दल द्वारा उन्हें सम्पूर्ण प्रक्रिया का एक विस्तृत प्रदर्शन दिया गया। उन्होंने टीईसी के साथ वार्तालाप करने की इच्छा व्यक्त की तथा उन्होंने एक विस्तृत संदेह निवारण सत्र में भाग लिया जिसमें आयोग की टीईसी द्वारा गंभीर तकनीकी संदेहों को दूर किया गया। सीपीआई**(**एम**)** दल ने फिर पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की और सुझाव दिया कि ऐसे किसी तरह के संदेहों को दूर करने के लिए आयोग को अग्रसक्रियता से तकनीकी समुदाय**(**विशेषज्ञों**)** के साथ ऐसे प्रर्दशनों और जागरूकता सत्रों का आयोजन करना चाहिए। आयोग उनके अत्यन्त रचनात्मक सुझाव का स्वागत करता हैं।

श्रीमती वंदना चवाण, सांसद की अगुवाई वाले एनसीपी दल ने सूचित किया कि वे भी किसी चुनौती में भाग नहीं लेने चाहते हैं परन्तु केवल सिदधांत रूप में भाग लेने के इच्छुक हैं। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती अनुरोध का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने ईवीएम की मेमोरी संख्या तथा बैटरी संख्या उन्हें चार दिन पहले उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था। महानिदेशक, श्री सुदीप जैन ने उन्हें सूचित किया कि आयोग ने उनके अनुरोध का पहले ही उल्लेख करते हुए उत्तर दे दिया है कि ईवीएम को

मुहरबंद स्थितियों में रखा जाना होता है इसलिए आयोग के लिए यह संभव नहीं है कि वह दलीय प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में आयोग ईवीएम से मेमोरी तथा बैटरी संख्या निकालने के लिए उन्हें खोले। तद्नुसार, आयोग ने दल को सूचित किया था कि दल ये संख्या चुनौती के समय जो चुनौती रूपरेखा के अनुसार उपलब्ध कराई गई हैं, मुहरबंद ईवीएम, को स्वयं खोलकर प्राप्त कर सकता है। महानिदेशक ने उन्हें दोबारा सूचित किया कि वे एक ईवीएम चुन सकते हैं ये मेमोरी संख्याएं प्राप्त करने के लिए उसे खोल सकते हैं। हालांकि, एनसीपी प्रतिनिधि ने यह कहते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया कि वे इस सूचना के उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण चुनौती में भाग नहीं ले सकते हैं। पत्र में एनसीपी प्रतिनिधि ने, उन्हें 14 ईवीएम की सूची में से एक का चयन करने के लिए कहकर, ईवीएम चयन प्रोटोकॉल में आखिरी क्षण में बदलाव करने के प्रति भी आपत्ति व्यक्त की।

तब आयोग ने उन्हें अपने सभी तकनीकी संदेह दूर करने के लिए टीईसी के साथ चर्चा करने का प्रस्ताव दिया। फिर एनसीपी दल ने टीईसी के साथ विस्तृत चर्चा की जिससे उनके द्वारा आज प्रस्तुत पत्र में सूचीबद्ध 8 मामलों सहित उनके सभी मुद्दों का स्पष्टीकरण हो गया तथा आज प्रस्तुत पत्र का प्रत्युत्तर भी अलग से भेजा जाएगा।

एनसीपी दल ने एक बार फिर आयोग से मुलाकात की जहां आयोग ने अपना प्रस्ताव दोहराया कि वे अभी भी चुनौती में भाग ले सकते हैं या ईवीएम चुनकर और मशीन को अपने आप खोलकर मेमोरी एवं बैटरी संख्या प्राप्त करके सिद्धांत रूप में जानकारी ले सकते हैं। आयोग ने उनके समक्ष यह प्रस्ताव भी रखा कि वे अपनी बात साबित करने के लिए पुन: आ सकते हैं जैसा कि उन्होंने मांग रखी थी।

हालांकि, एनसीपी प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि उनके सभी संदेहों का स्रोत महाराष्ट्र में नगरपालिका निर्वाचनों के दौरान इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों(ईवीएम) के साथ कथित गड़बड़ियों को लेकर था। आयोग ने स्पष्ट किया कि शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र द्वारा प्रयुक्त ईवीएम भारत निर्वाचन आयोग के नहीं हैं। एनसीपी दल ने तब यह अनुरोध करते हुए चुनौती-प्रक्रिया से बाहर आने की अपनी इच्छा व्यक्त की कि आयोग को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो ईसीआई-ईवीएम को एसईसी-ईवीएम से सुस्पष्ट रूप में अलग दर्शाए। आयोग ने एनसीपी के सुझावों पर विचार किया।

आयोग ने सार्वजनिक रूप से और सभी राजनैतिक दलों के समक्ष पहले ही कहा है कि आगामी सभी निर्वाचन अनिवार्य रूप से वीवीपीएटी मशीनों के साथ किए जाएंगे। आयोग का यह दृढ़ विश्वास है कि आगामी सभी निर्वाचनों में सभी मतदान केन्द्रों में वीवीपीएटी युक्त ईवीएम का उपयोग ईवीएम आधारित मतदान प्रणाली में अत्यधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाएगा। ऑडिट ट्रेल मतदाताओं के भरोसे और विश्वास को और पुख्ता करेगा। वीवीपीएटी युक्त ईवीएम का उपयोग ईवीएम के संबंध में गलत रूप से फैलाए गए सभी संदेहों और आशंकाओं को निर्णायक रूप में समाप्त कर देगा।

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने कल अपने निर्णय में कहा, "प्रथमदृष्टया, भारत निर्वाचन आयोग की सम्पूर्ण प्रेस विज्ञप्ति के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली सील प्रूफ है। ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। विनिर्माण चरण में किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जा सकता है। बटन दबाने के अनुक्रम के माध्यम से ट्रोजन हॉर्स को एक्टिवेट करने से परिणाम नहीं बदले जा सकते। ईसीआई-ईवीएम के साथ बाह्य रूप से हेर-फेर नहीं किया जा सकता। ईवीएम में कुछ सबसे अधिक परिष्कृत प्रौधोगिकीय विशेषताएं जैसे एक बारगी क्रमादेशन-योग्य(ओटीपी) माइक्रोकंट्रोलर्स, की कूटों की डायनमिक कूटबद्धता, प्रत्येक की प्रेस करने की तारीख तथा समय का अंकन आदि का उपयोग किया जाता है। इन ईवीएमों के साथ पारवहन के दौरान या भण्डारण स्थान पर भी हेर-फेर नहीं किया जा सकता है। ईवीएम को हेर-फेर-रोधी बनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण तथा संतुलन की व्यवस्था है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि दृष्टिक निरीक्षण के लिए चुनौती II के दौरान ईवीएम को खोला जा सकता है और केवल आंखों से देखकर ही इसका निरीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम स्तरीय जांच के दौरान इसकी अनुमति दी जाती है।

आयोग, देश के सभी नागरिकों, मतदाताओं, राजनैतिक दलों और अन्य सभी हितधारकों का आभार प्रकट करता है कि पिछले **67** से अधिक वर्षों से उनका आयोग के प्रति दृढ़ और अटूट विश्वास बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, आयोग सभी राजनैतिक दलों का भी धन्यवाद अदा करता है जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग में अपना निरंतर भरोसा और विश्वास व्यक्त किया है, जैसा कि **12** मई, **2017** को सर्वदलीय बैठक में राजनैतिक दलों के इंटरवेन्शनों के दौरान व्यक्त हुआ। आयोग देश के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता है कि यह निर्वाचनों की निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता कायम रखने में और अपने देश के निर्वाचकीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास को और सुदृढ़ करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं देश के नागरिकों को पुन: आश्वासन देता हूं कि निर्वाचन प्रक्रिया की अविकलता में लोगों का विश्वास कभी भी डगमगाने नहीं दिया जाएगा। आयोग की इच्छा है कि देश के सभी नागरिक और हितधारक हमारी निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक, सतर्क और सावधान रहें ताकि आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन को और अधिक सुदृढ़ कर सके।

ह/-
**(सुमन कुमार दास)**
**अवर सचिव**